बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं० सं०–4/SCA-T-01/2007 346

संकल्प

पटना, दिनांक– 29/2/09

विषय– वर्ष 2008–09 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल तक के लिए अनुसूचित जनजाति (थारू जनजाति सहित) एवं पश्चिम चम्पारण जिला क्षेत्र विकास हेतु कुल–125.00 (एक सौ पच्चीस करोड़) रूपये मात्र का समेकित थरूहट क्षेत्र विकास परियोजना का कार्यान्वयन की सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं इस परियोजना के अनुश्रवण, मुल्यांकन एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति तथा जिला स्तर पर एक अभिकरण के गठन की स्वीकृति के सम्बंध में।

पश्चिम चम्पारण जिला के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का विकास की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस जिला में सम्पर्क सड़क हेतु सामान्य योजना के अतिरिक्त राशि, प्रशिक्षण हेतु विशेष आई०टी०आई० की स्थापना, अनु० जनजाति के लिए अनु० जनजाति की 400 आसनवाले आवासीय उच्च विद्यालय (5 बालक एवं 5 बालिका) की स्थापना, अनु० जनजाति (थारू जनजाति सहित) परिवारों के लिए सोलर लैम्प, वन संरक्षण एवं आर्थिक विकास समूह, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन कर इस क्षेत्र के विकास की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 2008–09 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय काल तक चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। इस परियोजना के अनुश्रवण, मुल्यांकन एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति तथा जिला स्तर पर एक अभिकरण के गठन की स्वीकृति दी गई है।

इस परियोजना पर अनुमानतः कुल 125.00 (एक सौ पच्चीस करोड़) रूपये का व्यय वर्ष 2008–09 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय काल तक के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है।

(क) अनुश्रवण, मुल्यांकन एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति :–

(i) विकास आयुक्त — अध्यक्ष

(ii) प्रधान सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग — सदस्य सचिव

(iii) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग — सदस्य

(iv) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग — सदस्य

(v) प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग — सदस्य

(vi) प्रधान सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(vii) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग — सदस्य

(viii) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग — सदस्य

(ix) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग — सदस्य

(x) प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग — सदस्य

(xi) प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग — सदस्य

(xii) प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग — सदस्य

(xiii) प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग —— सदस्य
(xiv) प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग —— सदस्य

(ख) अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर समेकित थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है :—

(राशि रूपये में)

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	सरकारी पदाधिकारी / मासिक मानदेय
1.	परियोजना पदाधिकारी	1	विभागीय पदाधिकारी से
2.	सहायक अभियंता	1	25,000/— अधिकतम मासिक मानदेय
3.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर—सह—लिपिक	1	10,000/—अधिकतम मासिक मानदेय
4.	लेखापाल	1	10,000/—अधिकतम मासिक मानदेय
5.	वाहन (आउटसोर्सिंग से)	1	20,000/—अधिकतम मासिक मानदेय
6.	कम्प्यूटर एवं अन्य कार्यालय उपकरण एवं आकस्मिक व्यय		3,00,000/— (तीन लाख रूपये)

3— योजना के सम्बंध में निर्धारित दिशा—निर्देश के सम्बंध में संक्षिप्त टिप्पणी— प्रस्तावित योजनाओं के लिए आकलित राशि का व्यय संबंधित विभागों द्वारा उनके विभाग में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट प्रावधान से किया जायेगा। वैसे योजनाओं जिसमें संबंधित विभाग को इन क्षेत्रों में वर्तमान में निर्धारित योजनाओं के दिशा—निर्देश में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वे इसके लिए सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर कार्यान्वयन करेंगे।

4— बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता — प्रस्तावित योजनाओं के लिए आकलित राशि का व्यय संबंधित विभागों द्वारा उनके विभाग में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट प्रावधान से किया जायेगा।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक— 346 पटना, दिनांक— 24/2/09

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

प्रधान सचिव